पत्र संख्या–11/आ0–4–आ0नी0–03/2000 सा0प्र0....................

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।

पटना–15, दिनांक...................

विषयः– **निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–47 (2) के प्रावधानों के तहत् विकलांग कर्मियों को कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी शर्त्तों से विमुक्ति के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के पत्रांक–219 दिनांक–19.11.2014 के द्वारा समूह–''ग'' के विकलांग कर्मी को कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी शर्त्त से विमुक्ति के संबंध में मार्गदर्शन की माँग की गई है।

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–47 (2) में "No promotion shall be denied to a person merely on the ground of his disability." का प्रावधान है। जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) से प्राप्त समूह–''ग'' के कर्मी को कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी शर्त्त से विमुक्ति संबंधी प्रस्ताव की निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की उपरोक्त धारा के आलोक में समीक्षा की गई तथा समीक्षा के क्रम में पाया गया कि निम्न पकार के विकलांगता से ग्रसित कर्मी कम्प्यूटर पर कार्य करने में समक्ष नहीं हो सकते हैं :–

(क) पूर्णतः दृष्टि विकलांग (पूर्ण अंधेपन से ग्रसित) कर्मी तथा

(ख) एक हाथ अथवा दोनों हाथ से विकलांग कर्मी।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि पूर्णतः दृष्टि विकलांग (पूर्ण अंधेपन से ग्रसित) तथा एक हाथ अथवा दोनों हाथ से विकलांग कर्मियों को कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी शर्त्तों से विमुक्ति प्रदान की जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

कृ0पृ0उ0

FILE PATH-D/SITARAM MANDAL SIR- HINDI LETTER

आडिट मैनेजर

ज्ञापांक--11/आ0--4--आ0नी0--03/2000 सा0प्र0........................पटना--15, दिनांक..................................

प्रतिलिपि--अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/--

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक--11/आ0--4--आ0नी0--03/2000 सा0प्र0...6081...पटना--15, दिनांक...22.4.15...

प्रतिलिपि--महालेखाकार, बिहार पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार बिधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/सभी विश्वविद्यालय/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-D/SITARAM MANDAL SIR-HINDI LETTER